Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules And Order) Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 162-GHATOL (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI NANALAL NINAMA

143, RED PADA (SINGPURA) POST- MUDASEL, TEHSIL- GHATOL DISTRICT- BANSWARA (RAJ.) {sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS} has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place BANSWARA

Dated 03-12-2023



(VINOD KUMAR MALHOTRA)
RETURNING OFFICER
162-GHATOL (ST)
Legislative Assembly Constituency

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान राबिरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की धोपणा।
162- घाटोल (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री नानालाल निनामा

143, रेडपाडा (सींगपुरा) पोस्ट - मुडासेल तहसील-घाटोल जिला-बांसवाडा (राज.)

जो इंडियन नेशनल कॉग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं। स्थान वांसवाडा

दिनांक 03-12-2023

23 CATI STITE

(विनोद कुमार मल्होत्रा) रिटर्निंग अधिकार

रिटर्निम आफिस्व रिटर्निम आफिस्व रिटर्निम आफिस्व (५-१७५६ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाटोल)